(का.) 07692 - 220444
(नि.) 07692 - 220301
(फैक्स) 07692 - 220900

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/2943/वित्त–1/2020 सिवनी दिनांक 21 अप्रैल, 2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/2313/वित्त–1/2020 सिवनी, दिनांक 14 मार्च, 2020 के माध्यम से जारी आदेश को अधिक्रमित करते हुए नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत रखते हुये म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक/साप्रवि/कोविड/165/2020 भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल, 2020 में दिये दिये गये निर्देशानुसार भारत सरकार गृह मंत्रालय, द्वारा सम्पूर्ण देश में कोरोना के प्रभाव को रोकने के उद्वेश्य से 03 मई, 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। जिलों में लॉकडाउन को जारी रखते हुए कुछ गतिविधियां 20 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ भी गई है । जिलों में शासकीय कार्यालय प्रारंभ करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाए :–

1– जिले में शासकीय कार्यालयों को 33 प्रतिशत स्टॉफ के साथ प्रारंभ कर सकते है।

2– जिले के विभागों में अनावश्यक बैठकें आयोजित न की जाएं ।

3– जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम न किए जाए ताकि कार्यालयों में अनावश्यक भीड न हो ।

4– कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तथा मास्क का अनिवार्यतः उपयोग किया जाए।

5– कार्यालयों में नियमित सैनिटाईजेशन एवं फ्यूमिगेशन कराया जाए ।

6– भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा 15 अप्रैल, 2020 के लॉकडाउन के पुनरीक्षित निर्देशों के परिशिष्ट–1 एवं 2 में उल्लेखित स्टैन्डर्ड ऑपरेटिग प्रोसीजर्स का भी जिले में कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो।

7– जिले के सभी कार्यालय/विभाग प्रमुख अपने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 33 प्रतिशत कर्मचारियों की ही कार्यालय में उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा शेष कर्मचारी Alternate दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। जिन कर्मचारियों को कार्यालय आने के लिए निषेध किया जाएगा वे अपने शासकीय कार्य के लिए अपने मुख्यालय में रहकर निवास में ही रहेंगे तथा दूरभाष एवं संपर्क के समस्य माध्यमों पर संपर्क किए जाने पर तत्काल कार्यशील होना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए सभी विभाग प्रमुख इस संबंध में आवश्यक रोस्टर बनाया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक विभाग प्रमुख स्वंय यह सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की व्यवस्था करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राथमिकता वाले शासकीय कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए।

8– जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को रोस्टर के हिसाब से जिस दिन घर पर रहना है वे टेलीफोन/मोबाईल या इलेक्ट्रॅानिक माध्यम से संवाद के लिए उपस्थित रहेंगे ताकि उन्हें किसी भी तात्कालिकता की स्थिति में बुलाया जा सके।

9– ये निर्देश आवश्यक सेवाएं (Essential Services) जैसे– स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ–सफाई से जुडा अमला, अग्निशमन सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं इत्यादि पर लागू नहीं होगा।

10– यह आदेश किसी विभाग एवं इसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/संस्थान के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिनके विषय में सक्षम प्राधिकारी को इस बात का समाधान हो गया है कि किसी सवैधानिक/विधिक अनिवार्यता, कोरोना के संक्रमण से बचाव संबंधी विभागीय कार्य अथवा अन्य किसी विशिष्ट अपवादिक कार्य लिए उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्तव्य

थल पर उपस्थित रहकर कार्य करना अत्यावश्यक है। ऐसे कर्तव्यस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिग एवं अन्य समस्त आवश्यक सावधानियां रखी जाना सुनिश्चित किया जावे।

10– समस्त विभाग प्रमुख इस सम्बन्ध में अपने जिले में कोरोना वाइरस संक्रमण की स्थानीय परिस्थितियों का आकंलन कर तदानुसार लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में समुचित निर्णय ले सकेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर
सिवनी

पृ.क्र./29437/वित्त–1/2020 सिवनी दिनांक 21 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि :–

1– सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

2– कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

3– अपर कलेक्टर सिवनी

4– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी

5– प्रभारी अधिकारी/डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर कलेक्ट्रेट सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । आप अपने स्तर से अपने प्रभार की शाखाओं में प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के संबंध में सम्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

6– समस्त कार्यालय प्रमुख ....जिला सिवनी

7– अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, ...जिला सिवनी

8– तहसीलदार/नायब तहसीलदार ....जिला सिवनी

9– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ....जिला सिवनी

10– सहायक संचालक जन संपर्क सिवनी की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।

11– सर्व संबंधित ....जिला सिवनी ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सम्प्रेषित।

कलेक्टर,
जिला–सिवनी